

बिहार सरकार
कृषि विभाग
अधिसूचना

संचिका संख्या-2 (गो०)सी० 2-01/11-

कृ०/पटना, दिनांक

2017

श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, (बिहार कृषि सेवा), तत्कालीन ईख प्रसार पदाधिकारी कार्यालय सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना सम्प्रति सेवा निवृत्त के विरुद्ध बीज क्रय एवं परिवहन अनुदान वितरण में अनियमितता करने का आरोप संयुक्त सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के पत्रांक-378 दिनांक-28.02.2011 द्वारा प्रतिवेदित किया गया। उक्त आरोपों की प्रति श्री शर्मा को भेजकर उनसे उनका बचाव बयान प्राप्त किया गया। श्री शर्मा से प्राप्त बचाव बयान की समीक्षा विभाग स्तर पर की गई एवं समीक्षोपरांत अधिसूचना संख्या-329 दिनांक-20.05.2011 द्वारा इस मामले को संचिकास्त किया गया।

2. प्रशासी विभाग के द्वारा की गई उक्त कार्रवाई के बाद प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1477 दिनांक-28.06.2011 द्वारा श्री शर्मा के विरुद्ध आरोपों की गम्भीरता का उल्लंघन कर इस मामले में पुनः कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। इस मामले की पुनः समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरांत श्री शर्मा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों की पुनः विस्तृत जाँच कराने के उद्देश्य से विभागीय संकल्प संख्या-507 दिनांक-16.08.2011 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

3. पत्रांक-2305 दिनांक-05.05.2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-276 दिनांक-06.08.2015 द्वारा श्री शर्मा से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई। श्री शर्मा ने अपने पत्रांक-शून्य दिनांक-21.08.2015 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का लिखित बचाव बयान विभाग को समर्पित किया।

4. श्री शर्मा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में लिखित बचाव बयान को समीक्षा विभाग द्वारा की गई। समीक्षोपरांत श्री शर्मा के पेंशन से वर्ष 2008-09 में परिवहन अनुदान वितरण में सन्निहित रू० 7,000/- (सात हजार) मात्र की वसूली करने का दण्ड अधिरोपित का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक-553 दिनांक-09.11.2016 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से अधिरोपण के बिन्दु पर अनुशांसा/परामर्श की मांग की गई। पत्रांक-3595 दिनांक-09.03.2017 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग ने विभागीय दण्ड प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की।

अतः सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, (बिहार कृषि सेवा), तत्कालीन ईख प्रसार पदाधिकारी कार्यालय सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना सम्प्रति सेवा निवृत्त के पेंशन से 7,000/- (सात हजार) रुपये मात्र की वसूली करने का दण्ड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त करने का निर्णय लिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(राजीव कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक

/कृ०, पटना, दिनांक

2017

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/उप सचिव, वित्त (वै०दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक /कृ0, पटना, दिनांक 2017
प्रतिलिपि— अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग प्रेस (दो प्रतियों में) को राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक /कृ0, पटना, दिनांक 2017
प्रतिलिपि— श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, (बिहार कृषि सेवा), तत्कालीन ईख प्रसार पदाधिकारी कार्यालय सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना सम्प्रति सेवा निवृत्त पत्राचार का पता—छोटी बदलपुरा, पो०—खगौल, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक /कृ0, पटना, दिनांक 2017
प्रतिलिपि— प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक—1477 दिनांक—28.06.2011 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक /कृ0, पटना, दिनांक 2016
प्रतिलिपि— बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक—3595 दिनांक—09.03.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक /कृ0, पटना, दिनांक 2017
प्रतिलिपि— कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक (प्र०)—सह-अपर सचिव /प्रशाखा-1 कृषि विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक /कृ0, पटना, दिनांक 2017
प्रतिलिपि:— माननीय मंत्री कृषि, के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक 183 /कृ0, पटना, दिनांक 30/03/2017
प्रतिलिपि— आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29.3.17

सरकार के अवर सचिव